



248

124

निम्न 3748/2018/सतना/शुक्ला

सक्षम न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

जिला ग्वालियर (म0प्र0)



श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्यामसुन्दर गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी  
पंजाबी मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली सतना तहसील रघुराजनगर  
जिला सतना म0प्र0----- आवेदक/निगराकार

बनाम

01-श्री बद्रीविशाल सिंह तनय श्री राम सिंह बघेल निवासी शुक्ला  
बरदाडीह थाना कोलगवां, सतना तहसील रघुराजनगर जिला  
सतना म0प्र0

02.म0प्र0 शासन-----अनावेदक /गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त  
सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना  
म0प्र0 के राजस्व प्र0क0 22ए12/  
2016-17 आदेश दि0 30.11.16  
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार/आवेदक निम्न निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

निगराकार राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर  
जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्र0क0 22ए12/ 2016-17  
आदेश दिनांक .11.2016 के विरुद्ध निम्न तथ्यों के आधार  
पर निगरानी प्रस्तुत की जाती है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

(01):- यह कि निगराकार, गैर निगराकार से जरिये रजिस्टर्ड  
विक्रय पत्र दिनांक 30/03/2007 को मौजा शुक्ला बरदाडीह की

02

सुनीता गुप्ता

अधिरक्षी सुरेन्द्र  
कुमार मिश्रा द्वारा  
पेशा | 21-6-18

महानगरपालिका  
(सतना जिला) सतना

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R3748/न.0-12018..... जिला सतना

सुनीता गुप्ता विरुद्ध अद्वै विशाल

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. सुरेन्द्र कुमार मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सतना तहसील सतना के प्रकरण क्रमांक 22/38-12/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	